## आशाराम बनाम धनराम

9-10-23

अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम शहर काजाणी के खेत खसरा नम्बर 99 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 100 तादादी 3.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 तादादी 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 102 तादादी 0.12 हेक्टर निहित है। उक्त भूमि पूर्व में खातेदार तेजाराम की भूमि रही है। उक्त भूमि पर अपीलांट्स द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रकरण में वादीगण द्वारा सभी आवश्यक पक्षकारों को बतौर पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वादीगण/अपीलांट्स का वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आवश्यक पक्षकारों को कायम नहीं किये जाने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अभिलिखित किया गया कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 76 के द्वारा इन्द्रचन्द के समस्त वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है अतः इन्द्रचन्द के वारिसान को घोषणात्मक दावे की आवश्यकता भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर विधि विरूद्व की गई व्याख्या है। प्रकरण में एक तरफ तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में झंवरीदेवी व पूनमचन्द को पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत हो चुके थे कि इन्द्रचन्द के अन्य वारिसान भी मौजूद है तो ऐसी स्थिति में उन्हें वादपत्र में पक्षकार स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जा सकते थे तथा उक्त आशय के प्रावधान विधि में निहित भी है। दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय की उक्त व्याख्या की नामान्तरणकरण संख्या 76 के माध्यम से सभी वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नामान्तरणकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिससे माध्यम से अधिकार हासिल नहीं होते है। किसी भी पक्षकार को अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वादपत्र ही एकमात्र उपचार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में की गई

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

व्याख्या विधि विरूद्व व्याख्या है। विधि का यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ तकनीकी बिन्दु को गौण रखा जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में उनके समक्ष जैरकार वादपत्र को खारिज किया गया है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को न्यायिक नजीर एआईआर 1993 एपी पेज 40 के आधार पर खारिज किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत की व्याख्या अपने निर्णय में कहीं अंकित नहीं की गई है, कि उक्त न्यायिक दृष्टांत किस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में हबहु चस्पा होती है। केवल मात्र न्यायिक दृष्टांत का अंकन करते हुए अपीलांट्स के विधिक अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 1432, आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 273 व आरआरटी 2010 पेज 720 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी वे न्यायालय के समक्ष असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम शहर काजाणी के खेत खसरा नम्बर 99 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 100 तादादी 3.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 तादादी 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 102 तादादी 0.12 हेक्टर भूमि जोकि पूर्व में खातेदार तेजाराम की भूमि रही है। उक्त भूमि पर अपीलांट्स द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटएक्ट के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह लिया गया कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा आवश्यक पक्षकारों को वादपत्र में बतौर पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है, ऐसीस्थिति में

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

वादपत्र विधि द्वारा बाधित (बार्ड बाई लॉ) होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलांट्स का वादपत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज कर दिया गया। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् विवाद का मुख्य बिन्दु तेजाराम के वारिसान होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अधिकारों की घोषणा से संबंधित रहा है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 श्रीराम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के साथ प्रस्तुत इन्द्रराम पुत्र तेजाराम के वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है। जिसके अनुसार इन्द्रराम के झंवरीदेवी, आशाराम, पूनमदेवी, जसकरण, धनराम जीवित वारिसान है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जरिये वारिसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो चुके थे कि वादपत्र में अंकित वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अतिरिक्त भी तेजाराम के अन्य वारिसान मौजूद है। इस संबंध में विधायिका द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) में प्रावधान निहि किये गये है, जिसके अनुसार Court may strike out or add parties. – The Court may at any stage of the proceddings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, orde that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, an that rhe name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon ands settle all the questions involved in the suit, be added. इस प्रकार विधायिका द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अपने विनिश्चयन से पूर्व किसी भी. पक्षकार को वादपत्र में हटाने व जाड़ने की शक्तियॉ निहित है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वार प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को वादपत्र में जोड़ते हुए वादपत्र के गुणावगुण पर निर्धारण किये जाने से बचते हुए वादपत्र का तकनीकी बिन्दु के आधार पर निस्तार किया गया है, जिसे युक्ति युक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की व्याख्या की इंतकाल संख्या 76 के माध्यम से इन्द्रचन्द के समस्त वारिसान का

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, ऐसी स्थिति में घोषणात्मक दावे की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या भी विधि सम्मत् व्याख्या नहीं है, क्योंकि नामान्तरणकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिसके माध्यम से कोई भी पक्षकार अधिकार अर्जित नहीं कर सकता है। पक्षकारों को अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु विधायिका में प्रतिस्थपित नियमों के तहत जरिये वादपत्र ही अधिकारों की घोषणा करवाई जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को खारिज करने के दोनों मुख्य आधार विधिक प्रावधानों के विपरीत कारित किये गये है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहयक कलेक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 30–01–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में वादीगण से आवश्यक पक्षकारों को समायोजित करवाते हुए वादपत्र का विधिक प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। अपीलांट्स को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संशोधित टाईटल प्रस्तुत करते हुए दिनांक 06–11–2023 को उपस्थित आवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर